तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी / टीए/ 2004 / 1881 / भरतपुर फते वगैरह बनाम बाबू वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
17-12-2024	**एकल–पीठ** **श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य** ——— **उपस्थिति :** श्री जे.के. पारिक, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण। श्री विकास पाराशर, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण। ——— **आदेश** 1– हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या–58/2004 में पारित आदेश दिनांक 18–03–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– निगरानी याचिका अनुसार प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी अप्रार्थी संख्या–1 बाबू ने प्रार्थीगण फते वगैरह एवं अप्रार्थी संख्या–2 से 7 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के समक्ष पेश किया, जिसे दिनांक 10–02–2004 को स्वीकार कर डिक्री किया गया। इस आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी प्रार्थीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 5 सीपीसी एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर योग्य अपीलीय न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 18–03–2004 के माध्यम से किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी याचिका मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3– उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण जे.के. पारिक ने याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि विवादित भूमि पर अप्रार्थी का कभी भी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है एवं अप्रार्थी ने जो दावा पेश किया उस समय भी अप्रार्थी का कब्जा एवं काश्त नहीं था, इस कारण बिना कब्जे के अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा पेश वाद स्वीकार कर डिक्री नहीं किया जा सकता था, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पूर्णतयाः अवैधानिक एवं कानून में प्रावधित प्रावधानों के विपरीत है। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 164, 165, 170, 230 को अप्रार्थी संख्या–1 के पिता ख्याली से दिनांक 27–12–60 को पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद किया था, जिसके पश्चात् से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है तथा अप्रार्थीगण द्वारा इस विक्रय पत्र को निरस्त करवाने का दावा सक्षम न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। इस कारण यह विक्रय पत्र अंतिम की परिभाषा में आता है तथा इसके निरस्तीकरण के अभाव	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	में अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना को स्थगित किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। अंत में प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–03–2004 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया। 4– उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी विकास पाराशर ने निवेदन किया कि अप्रार्थी स्व. बाबू द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् वाद पेश किये जाने पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में पारित तनकीयात को बाद साक्ष्य वादी के पक्ष में निर्णित होना मानते हुए वाद वादी के पक्ष में डिक्री करते हुए प्रतिवादीगण को विवादित भूमि में वादी के कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं करने एवं वादी की काश्त में कोई अवरोध पैदा नहीं करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपील दर्ज रजिस्टर कर योग्य अपीलीय न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होना मानते हुए शेष प्रत्यर्थीगण की तलबी हेतु आगामी दिनांक नियत की गई। प्रार्थीगण का कभी भी विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं रहा एवं ना ही उनके पिता स्व. ख्याली द्वारा उन्हें विवादित भूमि का बेचान किया गया। अप्रार्थी ही विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार है तथा प्रार्थीगण द्वारा उन्हें जबरन बेदखल करने पर आमादा होने पर उन्हें जरिये न्यायालय स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया गया। अतः प्रस्तुत निगरानी याचिका अपोषणीय होने से अस्वीकार कर खारिज की जाये। 5– उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं आक्षेपित निर्णयों का भी अवलोकन किया गया। आक्षेपित आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि योग्य अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने आक्षेपित आदेश दिनांक 18–03–2004 के माध्यम से प्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होना मानते हुए अप्रत्यक्ष रूप से स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। चूंकि प्रार्थीगण का यह कथन है कि उनके द्वारा विवादित भूमि को अप्रार्थी के पिता स्व. ख्याली से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27–12–60 को खरीद की है तथा बाद खरीद से बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। अतः उन्हें विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करने संबंधी काण्उटर क्लेम की प्रार्थना की गई, जबकि पत्रावली के **प्रथम दृष्टया** अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी जाति में जाटव है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जाति में जाट है, ऐसी स्थिति में यदि अनुसूचित जाति की भूमि का बेचान सवर्ण जाति के व्यक्ति को हुआ भी होगा तो ऐसा हस्तांतरण/अनुबंध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42–बी के तहत् वैध नहीं है। चूंकि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से अप्रार्थी विवादित भूमि के रेकाडेर्ड काश्तकार राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अप्रार्थी बाबू का वाद डिक्री करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है तथा इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा अपील भी प्रस्तुत की गई जो कि योग्य अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं गुणावगुण के संबंध में अन्य कोई टिप्पणी नहीं करते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है। 6— परिणामतः हस्तगत निगरानी अस्वीकार कर खारिज की जाती है। इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(पुरूषोत्तम लाल सैनी)** **सदस्य**	